संख्या–419/ III–2/06–69(बजट)/05

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 27 फरवरी , 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1350/19(1) भवन–30/05 दिनांक 06 सितम्बर, 2005 एवं संख्या–1935/19(1) भवन–30/05 दिनांक 07, अक्टूबर, 2005 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0–932/III(3)/05–28 (सा.)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत –16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओ के योजनाओं के प्रस्तावों के भुगतान हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित अवशेष रू0 140.00 लाख (रू0 एक करोड़ चालीस लाख मात्र) की एकमुश्त धनराशि को आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि इसका व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा ।

2. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि संबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम.ओ.यू. में भुगतान की निहित शर्तो के अनुसार भुगतान किया जायेगा तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 द्वारा भुगतान से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की संबंधित संस्था ने अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कर लिया गया है ।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद के कार्यों पर किया जायेगा जो आय व्ययक में प्रस्तावित स्थापित प्रकिया के अधीन होगा अन्य मदो में उक्त धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उसका मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय ।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी । उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग कर उसका योजनावार मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

6. व्यवसायिक सेवाओं हेतु संस्थाओं के चयन में टेण्डर विषयक शासन के नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान सं0–22 के लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य– आयोजनेत्तर –001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन 00 16 व्यवसायिक सेवाओं तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद के नामे डाला जायेगा ।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0– 27/XXVII (2)/2006 दिनांक 22फरवरी,2006 में प्राप्त उनकी उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 419(1)/III-2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।

2- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

3- समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।

6- मुख्य अभियन्ता,स्तर-2 लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।

7- अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून ।

8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।

9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

([illegible] पन्त)

संयुक्त सचिव।